भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – †1779

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण

†1779. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में विशेषकर ओडिशा राज्य में जनजातीय महिलाओं विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्रों में सशक्तिकरण के लिए कोई विशिष्ट पहल और कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय शासन और निर्णय लेने वाले निकायों में जनजातीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जनजातीय महिलाओं में उनके अधिकारों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): सरकार जनजातीय महिलाओं सहित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति के रूप में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) (जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है) को क्रियान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी लाभान्वित होती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए समर्पित हैं। इन योजनाओं के विवरण के लिए मंत्रालय की वेबसाइट stcmis.gov.in देखी जा सकती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को क्रियान्वित करता है। आज की तारीख में, देश भर में 476 ईएमआरएस कार्यशील हैं, जो 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 264 जिलों में 1,33,929 छात्रों को लाभान्वित कर रहे हैं। 50% सीटें जनजातीय लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

ओडिशा राज्य के लिए 114 ईएमआरएस अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 108 ईएमआरएस स्वीकृत किए जा चुके हैं। विस्तृत जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (nests.tribal.gov.in) देखी जा सकती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाएं भी कार्यान्वित करता है। मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर योजनाएं खुली (ओपन एंडेड) हैं, जहां हर साल लगभग 30 लाख छात्र लाभ उठाते हैं, जिनमें से लगभग 50% लाभार्थी महिलाएं हैं। वर्ष-वार राज्य-वार विवरण जनजातीय कार्य मंत्रालय डैशबोर्ड (dashboard.tribal.gov.in) पर देखा जा सकता है। पीएचडी करने के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) नामक एक विशेष योजना संचालित करता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं कोई भी आय सृजन गतिविधि कर सकती हैं। एनएसटीएफडीसी 2 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 90% तक ऋण प्रदान करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान ओडिशा सहित देश भर में आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के तहत किए गए संवितरण का ब्यौरा और शामिल की गई महिला लाभार्थियों की संख्या:

वित्तीय वर्ष	संवितरित राशि (₹ लाख में)	सहायता प्राप्त महिला लाभार्थियों की संख्या
2021-22	499.27	564
2022-23	644.09	782
2023-24	742.82	1828

15 नवंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने ओडिशा सहित 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का शुभारम्भ किया। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में पानी और बिजली के साथ मकान उपलब्ध कराने सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच तथा स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है जिससे जनजातीय महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। ओडिशा में अभियान योजना के तहत इसकी शुरुआत से दिए गए लाभों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में ओडिशा सहित 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करते हुए बुनियादी ढांचे के अंतरों को पाटना है। प्रत्येक मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और उन्हें सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और पहुंच (आउटरीच) के माध्यम से संतृप्ति प्राप्त करना है। मिशन का लक्ष्य पीएमएवाई के तहत जनजातीय परिवारों को बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन के साथ 20 लाख घर उपलब्ध कराना है, जिससे जनजातीय महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(ख): (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): पंचायती राज मंत्रालय ने सूचित किया है कि "पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना

और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है जो संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य दर राज्य अलग-अलग हो सकते हैं। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243घ प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि, 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इससे भी आगे बढ़कर अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, अनुच्छेद 243घ में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान (अर्थात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण) लागू होता है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण का व्यापक कार्य करता है। यह मंत्रालय पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और अपनी नेतृत्वकारी भूमिका का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें। मंत्रालय ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा और महिला सभा की अलग-अलग बैठकें आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों को परामर्शी भी जारी किया है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि के आवंटन के लिए भी राज्यों को परामर्शी जारी किए गए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, आदान-प्रदान यात्राओं, आदि महोत्सव, पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। जनजातीय महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत स्वीकृत कुछ परियोजनाएँ **अनुलग्नक-II** में दी गई हैं। इन परियोजनाओं के विवरण के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (https://tribal.nic.in/Display_Apex_Minutes.aspx) देखी जा सकती है।

“जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण” के संबंध में श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1779 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ओडिशा में पीएम जनमन के तहत दिए गए लाभों का विवरण (21.11.2024 तक)

मंत्रालय	उपाय	स्वीकृतियां	वित्तीय स्वीकृतियाँ (करोड़ रुपए में)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकान	28757 मकान	263.72
	संपर्क मार्ग	147.87 किमी सड़क	149.75
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जल आपूर्ति	525 गांव संतृप्त	उपलब्ध नहीं है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयाँ (एमएमयू)	50 एमएमयू स्वीकृत	16.94
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	90 एडब्ल्यूसी	14.64
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास	30 छात्रावास	82.50
विद्युत मंत्रालय	आवासों का विद्युतीकरण	1326 आवास	0
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	आवासों का विद्युतीकरण	-	-
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	130 बस्तियाँ	13.5
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	61 (एमपीसी)	24.64
	वीडीवीके की स्थापना	43 वीडीवीके	1.7765

संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

अनुलग्नक-II

"जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण" के संबंध में श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1779 के उत्तर हेतु भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य का नाम	परियोजना का नाम
असम	जनजातीय महिला सशक्तिकरण उद्यमिता पर कार्यशाला
छत्तीसगढ़	मूल्यांकन अध्ययन - राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई जनजातीय विकास योजना का मूल्यांकन
छत्तीसगढ़	मूल्यांकन अध्ययन - मासिक धर्म स्वच्छता, ज्ञान प्रथाओं और इससे संबंधित व्यवहार पैटर्न के संबंध में जनजातीय महिलाओं का अध्ययन।
छत्तीसगढ़	कमार और बैगा जनजातीय महिलाओं (आयु 15-45 वर्ष) में आरसीएच की व्यापकता और जांच, कैंसर जांच और अन्य स्त्री रोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा (बैगा - कबीरधाम, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिला) (कमार - गरियाबंद और धमतरी जिला)
गुजरात	तापी जिले के आदिवासियों में माइक्रो क्रेडिट स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन संबंधी एक अध्ययन
जम्मू और कश्मीर	जनजातीय महिलाओं का कौशल विकास
झारखंड	झारखंड में भूमि-सामाजिक-अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जनजातीय महिलाओं के अधिकारों की मौजूदा प्रकृति पर अध्ययन
झारखंड	झारखंड की जनजातीय महिलाओं और लड़कियों का खेलों में अध्ययन- शारीरिक अभिव्यक्ति की सीमाएँ बढ़ाना, पहचान स्थापित करना, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा
केरल	केरल में निर्वाचित महिला अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व और सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम।
केरल	भारत में जनजातीय महिलाओं के समकालीन सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य, चुनौतियां और संभावनाएं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
मध्य प्रदेश	जनजातीय गर्भवती महिलाओं और पालक माताओं में एनीमिया का अध्ययन
ओडिशा	जनजातीय महिला एसएचजी सदस्यों को मूल्य संवर्धन और खाद्य संबंधी क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
ओडिशा	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) के सहयोग से महुआ के मूल्य संवर्धन पर जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (तीन बैचों में 25 एसएचजी समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली 100 जनजातीय महिलाएं)

ओडिशा	लघु वनोपजों के मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी जनजातीय महिला एसएचजी सदस्यों के 2 बैचों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
ओडिशा	विधवाओं सहित महिला मुखिया वाले परिवारों के जीवन और आजीविका पर एफआरए का प्रभाव- राज्य पहल, सफलता की कहानी, मुद्दा और आगे का रास्ता
सिक्किम	सिक्किम में जनजातीय महिलाओं पर अनुभवजन्य अध्ययन, जिसमें सिक्किम की जनजातीय महिलाओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक गतिविधियों के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है।
तेलंगाना	श्री गुसादी कनक राजू, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और पीवीटीजी एवं जनजातीय महिलाओं के अन्य जनजातीय उपलब्धिकर्ताओं का वीडियो दस्तावेज़ीकरण
तेलंगाना	कल्याणलक्ष्मी योजना का आर्थिक प्रभाव
तेलंगाना	अजजा महिला सरपंचों का सामाजिक आर्थिक प्रभाव
तेलंगाना	पोषण, स्वच्छ भारत, महिला तस्करी आदि जैसे कार्यक्रमों पर कार्यशालाएं और आईईसी सामग्री का विकास (तेलुगु, अंग्रेजी में ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग)।
त्रिपुरा	जनजातीय समाज के विकास में जनजातीय महिलाओं की भूमिका
त्रिपुरा	जागरूकता शिविर I) अंधविश्वास - जनजातीय समाज पर एक अभिशाप II) नशाखोरी - जनजातीय समाज का एक अभिशाप III) जनजातीय महिलाओं और बच्चों की तस्करी
पश्चिम बंगाल	महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई जनजातीय विकास योजनाओं का मूल्यांकन
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल में चार जिलों की जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पर एक अध्ययन
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के जनजातीय बच्चों में स्कूल नामांकन और स्कूल छोड़ने (ड्रापआउट) संबंधी अध्ययन

*****